राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2214/2007

डॉ. संतोष गुप्ता –अपीलार्थी

बनाम

1. शासन उप सचिव, राजस्थान सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।
2. निदेशक (जन. स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र जैन, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को आदेश कमांक व. पं. 4(4) चि.स्वा./2/2002/दिनांक 15.06.2002 को पातेय वेतन श्रंखला में व.वि. नेत्र के पद पर पदोन्नत किया गया था । प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के आदेश दिनांक 05.05.2003 द्वारा अपीलार्थी को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशांषा पर वर्ष 2001–2002 से वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। प्रत्यर्थी क्रमांक 2 ने अपने आदेश दिनांक 24.11.2003 द्वारा अनुचित एवं अवैध तरीके से अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2001 से 04.05.2003 तक नोशनल लाभ दिये जाने के आदेश पारित कर दिये। अपीलार्थी ने वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के पद पर दिनांक 26.06.2002 को पदभार ग्रहण कर लिया था। इसलिये वह दिनांक 26.06.2002 से ही वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के पद के वेतन का वास्तविक लाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो गया था। अपीलार्थी को दिनांक 26.06.2002 से वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के पद के वेतन का वास्तविक लाभ न दिये जाने पद दिनांक 25.06.2003 को एक अभ्यावेदन प्रमुख चिकित्सा अधिकार सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर को दिया। प्रत्यर्थी कमांक 1 ने अपने आदेश दिनांक 20.03.2004 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुये अपीलार्थी को दिनांक 26.06.2002 से वास्तविक वेतन का भुगातन किये जाने के आदेश पारित कर दिये। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर ने अपने पत्र दिनांक 12.10.2004 द्वारा वित्तीय सलाहाकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर को अपीलार्थी से नकद भुगतान दिये जाने हेतु मार्गदशर्न मांगा। निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा. सेवाऐं राज., जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 19.02.2005 द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 26.06. 2002 से वास्तविक लाभ दिये जाने के निर्देश प्रिंसिपल मेडिकल आफिसर, सामान्य चिकित्सालय को दिये। इन आदेशों के आधार पर प्रिसिपल मेडिकल ऑफिसर, सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर ने अपने आदेश दिनांक 19.02.2005 द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 26.06.2002 से वास्तविक लाभ दिये जाने के आदेश पारित कर दिये। प्रत्यर्थी कमांक 1 ने

आश्चर्यजनक रूप से अपने आदेश दिनांक 13.09.2007 से अनुचित एवं अवैध रूप से अपने आदेश में गलत तथ्यों को वर्णन करते हुये, सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही अपीलार्थी को दिनांक 07.05.2003 से नोशनल लाभ दिये जाने के आदेश पारित कर दिये।

2. अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 13.09.2007 को इस अपील में चुनौती दी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के पद पर दिनांक 26.06.2002 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया था और तब से ही इस पद पर वास्तविक रूप से लगातार कार्य करता आ रहा है, अतः अपीलार्थी दिनांक 26.06.2002 से ही वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के पद का वास्तविक लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है और इस आधार पर भी आदेश दिनांक 13.09.2007 अपास्त किये जाने योग्य है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का तर्क है कि वित्त नियम विभाग से सहमति प्राप्त करने के पश्चात अपीलार्थी को दिनांक 07.05.2003 से वास्वविक लाभ दिया गया। इससे पूर्व का लाभ नोशनल के रूप में दिया गया है, क्योंकि अपीलार्थी वास्तविक रूप से विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के तहत दिनांक 07.05.2003 को ही पदोन्नत हुआ था।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। माननीय उच्च न्यायालच ने प्रकरण विजय कुमार दामोर बनाम राजस्थान राज्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6547/2011 में आदेश दिनांक 19.02.2012 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया हैः–

> *"It is submitted that posting of the petitioners as Lecturer was made as an administrative arrangement on temporary basis in their pantey vetan. The term pantey vetan as explained by learned Government Advocate is the pay-scale in which the petitioners were already running at the time of their posting as Lecturer. The fact mentioned in the reply that the petitioners are working as Lecturer is sufficient to establish that adequate number of vacancies pertaining to the post of Lecturer were available and the respondents utilised services of the petitioners thereon without making promotions in accordance with the Rules. When the respondents are utilizing services of the petitioners on the post of Lecturer that too from last about a decade, then there is no just reason available to deny pay-scale pertaining to the post concern. The posting of the petitioners on higher post, as a matter of fact, is nothing but a promotion looking to the administrative exigency, though that is termed as administration arrangement in pantey vetan. Once the services of the petitioners are utilized on higher post, they became entitled for fixation of their pay in the pay-scale attached with that post. They are discharging the same duties as discharged by other lecturers employed by way of direct*

recruitment or by way of promotion, as such the respondents are required to maintain a parity in granting pay to the persons discharging similar duties. The case of the petitioners is not of intermittent officiation on higher post while discharging their normal duties but of discharging duties of higher post for all purposes excluding the duties relating to the substantive post held by them. The non grant of the pay-scale applicable to the post of Lecturer to the petitioners despite utilizing their services on that post is not permissible in view of the doctrine of equal pay for equal work enshrined under Article 39(d) read with Article 14 of the Constitution of India.

Accordingly, this petition for writ is allowed. The respondents are directed to make fixation of the petitioners' pay in the pay-scale pertaining to the post of Lecturer from the date they were posted on the post aforesaid under the orders (Annex.1) collectively. The necessary fixation in pursuant to the directions aforesaid is required to be made within a period of three months from today. The petitioners shall also be entitled for arrears of wages. "

5. इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के पद पर पातेय वेतन पर दिनांक 26.06.2002 से अपनी सेवाएं दी है और अपीलार्थी की पदोन्नति इसी पद पर इससे पूर्व की रिक्ति के वर्ष में अर्थात् 2001–02 से आदेश दिनांक 05.05.2003 के द्वारा हुई थी। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक 26.06.2002 से इस वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के पद पर वास्तविक वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है।

6. अतः यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.09.2007 (अनुलग्नक–8) अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) के पद पर कार्यग्रहण की तिथि 26.06.2002 से पद के वास्तविक वेतन का लाभ एवं पारिणामिक लाभ प्रदान करें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)